

बिहार विधान सभा में प्राप्त शून्यकाल सूचना

श्री कुमार शैलेन्द्र, मा० स० वि० स० से दिनांक-16.03.11 को प्राप्त शून्यकाल सूचना सं०-16/2011 के कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में।	श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना
<b>शून्यकाल सूचना</b>	<b>उत्तर</b>
भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखण्ड में नवादा ग्राम के सैकड़ों महादलित परिवार गंगा नदी के कटाव के कारण विस्थापित हो गए। पीड़ित महादलित परिवार पिछले पन्द्रह सालों से 14 नं० सड़क पर अपना गुजर-बसर कर रहे हैं। अतएव, सरकार से पुनर्वास की मांग करता हूँ।	खरीक प्रखण्ड के नवादा ग्राम के विस्थापित महादलित परिवारों के पुनर्वास हेतु भू अर्जन वाद संख्या-01/2009-10 संधारित कर मौजा भटोदर थाना संख्या-111 खाता 3, खेसरा नं०-01, रकवा 0.66 डिसमल एवं मो० 5,93,081.00 (पाँच लाख तिरानवे हजार इक्यासी) रूपया के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु अपर समाहर्ता, भागलपुर के पत्रांक 62 (प्र०) दिनांक-06.03.2013 द्वारा आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर को भेजा गया है। प्रक्रिया पूरी कर पुनर्वास की कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि०स०शू०का०-65/2011/...../आ०प्र०, दिनांक -


प्रतिलिपि उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक -1044 दि०-11.04.2011 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक -04/वि०स०शू०का०-65/2011/.....<sup>2767</sup>...../आ०प्र०, दिनांक - 8/7/13

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आ०प्र० विभाग को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी